क्रमांक 28/21/78-जी०एस०-II,

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल,
सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट और
सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 22-4-1988

विषय :--परिवार कल्याण प्रोग्राम-विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुए है कि उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रः 1452-जीः एसः-70/7417, दिनांक 30-3-70, क्रः 3260-2 जीः एसः-71/18484, दिनांक 13-7-71 तथा क्रः 28/21/78 जीः एसः II, दिनांक 20-10-78 की ओर ध्यान दिलाऊं, जिन में यह निर्णय लिया गया था कि जिन 1500 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की धर्मपत्नियां बिना डिलिवरी और डिलिवरी के समय Gynace sterilisation or puer stero; osatopn) नलबन्दी आप्रेशन करवायें, उन्हें 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश, नलबन्दी आप्रेशन के तुरन्त बाद दिया जाये । कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमानों में किये गये संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि यह सुविधा 4500 रुपये प्रति मास तक के वेतन पाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को दी जाये और यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों/अधिकारियों को दी जायेगी जिनकी धर्मपत्नियां दो बच्चों के जन्म के बाद ही यह आप्रेशन करवाएंगी ।

2. यह निर्णय कृपया, सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए ।

हस्ताक्षर
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति वित्तायुक्त राजस्व तथा सभी प्रशासकीय सचिवों, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा उचित कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

हस्ताक्षर
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

वित्तायुक्त, राजस्व तथा सभी प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 28/21/78- जी0एस0-II दिनांक 22-4-1988 ।